न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 94/2019

मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर जरिये प्रतापसिंह पुत्र भजनलाल जाति गुर्जर निवासी इटामडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी घाटरी बनाम मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर मि0न0 14/2016 कार्यवाही अन्तर्गत 90(ए) भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 14.07.2016 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 90(ए) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम घाटरी की आराजी खसरा नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

684/88 रकवा 8 वीघा 13 विस्वा ग्राम घाटरी में से 8.13 वीघा पर कार्यालय, कच्चा/पक्का माल डालकर बिना भूमि रूपान्तरण कराये कृषि भूमि का अकृषि भूमि में उपयोग करने पर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि श्रीमती लक्ष्मी देवी अपीलान्ट केशर की मालिक या हिस्सेदार नहीं है उसको साझीदार बनाकर कार्यवाही गलत की गई है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 684/88 रकवा 8 वीघा 13 विस्वा में अकेली लक्ष्मीदेवी एवं प्रतापसिंह की खातेदारी की नहीं है, अपितु कलुआ पुत्र चिरमोली कोली तथा पप्पीदेवी भी खातेदार, सभी व्यक्ति सह खातेदार है तथा भूमि का भी विभाजन नहीं हुआ है, अतिक्रमण की कार्यवाही मात्र दो हिस्सेदारों के बजाय सबके विरूद्ध करनी चाहिये थी, मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करने में कानूनी भूल की है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि बालाजी स्टोन केशर अपीलान्ट प्रतापसिंह ने लगाया है व वही इसमें कार्यरत है। केशर के व्यावसायिक उपयोग हेतु भूमि का रूपान्तरण कराकर केशर स्थापित किया है जो 2 वीघा में है, उसी में कार्यालय बनाया गया है। कृषि भूमि में कार्यालय नहीं है। जहां तक अन्य 4 वीघा अकृषि भूमि में कच्चा/पक्का माल डलकर बिना अनुमति के उपयोग करने का आरोप है वह विल्कुल गलत है। केवल संपरिवर्तन भूमि को ही कच्चा/पक्का माल डालने एवं कार्यालय के लिये उपयोग में लिया जा रहा है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि यदि थोडा बहुत कार्य 2 वीघा के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अतिरिक्त हिस्से में पाया जावे तो कृषक अपनी खातेदारी की भूमि में राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार एक एकड भूमि तक बिना संपरिवर्तन कराये लघु उद्योग के कार्य में ले सकते है तथा इस प्रकार का उपयोग अकृषि में उपयोग नहीं माना जायेगा व भूमि कृषि भूमि ही मानी जावेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो सभी सहखातेदारों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया है और न ही पटवारी हल्का के बयान लिये है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि माल जप्ती एवं नीलामी की कार्यवाही से पूर्व अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया जाना चाहिये, बेदखली के साथ ही नीलामी का आदेश अवैधानिक है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर जबाब पेश किया तथा कच्चा पक्का माल व कार्यालय का विवादित भूमि में होने से मना किया था व वाकी भूमि में पेड लगे होने की बात बताई परन्तु उक्त तथ्य की कोई जांच नहीं की तथा जबाब पेश करने के बाद आगे की कोई तारीख प्रकरण में नहीं बताई व कहां कि आवश्यकता होने पर बुलवा लेगें, बाद में उसे कभी नहीं बुलाया गया व उक्त आदेश इकतरफा में पारित कर दिया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी गई। अपीलान्ट यह समझता रहा कि उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त हो गई। 3 साल बाद पटवारी हल्का ने दिनांक 04.11.2019 को मौखित रूप से बताया कि उनके खिलाफ कार्यवाही कर नीलामी की जावेगी तब अपीलान्ट ने दिनांक 05.11.2019 को तहसील में पता लगाया व उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र देकर उसी दिन नकल प्राप्त कर व उसे पढकर असल जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम को प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

है। जिसने कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 90(ए) के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2016 द्वारा बालाजी स्टोन क्रेशर के आराजी खसरा नम्बर 684/88 रकवा 8 वीघा 13 विस्वा में से 4 वीघा खातेदारी भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि प्रयोजन काम में लेने के कारण बेदखल किये जाने एवं गैर रूपान्तरण भूमि पर पडे मलवे को कब्जे राज लेने के आदेश दिये गये है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2072–75 आराजी खसरा नम्बर 684/88 रकवा 8 वीघा 13 विस्वा ग्राम घाटरी पर कलुआ पुत्र चिरमोली 65/172 सा. बन्ध बरैठा तह0 बयाना, लक्ष्मी पत्नी बहादुर सिंह 67/172 कौम कोली सा. भरतपुर, प्रतापसिंह पुत्र भजनलाल 20/172 कौम गूजर सा. इटामडा खातेदार (3228 वर्गमीटर क्रेशर कनवरजन शुदा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बालाजी स्टोन क्रेशर द्वारा प्रस्तुत जबाब में आराजी खसरा नम्बर 684/88 रकवा 8 वीघा 13 विस्वा में से 3228 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण कराये जाने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2016 में 3228 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण किये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

का अंकन किया गया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 684/88 के सम्पूर्ण रकवे को क्रेशर के काम में लिये जाने के संबंध में केवल बालाजी स्टोन क्रेशर को ही सुना गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रकवा के सभी खातेदारों को भी सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत पक्षकारों को नहीं सुना है और न ही पटवारी हल्का के बयान आदि लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये एवं विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे पक्षकारो को सुनवाई, साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर देकर जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)